ORDER SHEET

THE COURT

अपराध क्रमांक 177/2020

आरक्षी केन्द्र माणक चौक v/s एजाज

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders whe
20-05-2020	आरक्षी केन्द्र माणक चौक, रतलाम के आरक्षक विक्रम सिंह घोसरे क्रमांक 287 ने थाना के अपराध क्रमांक 177/2020 अंतर्गत धारा धारा–14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत् आरोपी एजाज पिता अ. बशीर कुरेशी, उम्र–54 वर्ष, निवासी–मकान नम्बर 21 कसाई मण्डी, मोमिनपुरा, जिला रतलाम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी से 24 घण्टे की अवधि के भीतर मेरे समक्ष क्रिमीनल रीडर श्री अरूण यान्निक के व्हाटसएप्प नम्बर से आरक्षक विक्रम सिंह घोसरे के व्हाटसएप्प नम्बर पर वीडियो काल कर उपस्थित सुनिश्चित की गई तथा केस डायरी जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम की ई–मेल आई.डी. से प्राप्त। अभियोजन की ओर से अन्वेषणकर्ता अधिकारी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 167 दं.प.सं. का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आरोपी को दिनांक 31.01.2020 से रतलाम, उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ व मंदसौर के राजस्व सीमा से अग्रिम 9 माह तक प्रवेश नहीं करेगा इस बाबत जिला बदर किया गया था लेकिन आरोपी आदेश की अव्हेलना कर रतलाम जिले में घूमता पाया गया, अतः आरोपी को दिनांक 02.06.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे। राज्य द्वारा कोई उपस्थित नहीं। केस डायरी का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया तथा आरोपी को सुना गया व उसे अभिरक्षा में लिये जाने का कारण बताया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में चेक लिस्ट संलग्न है। केस डायरी के अवलोकन से आरोपी की गिरफ्तारी धारा 41 द.प्र.स. में वर्णित आधारों पर उचित रूप से किया जाना परिलक्षित होता है। केस डायरी के अवलोकन से पुलिस की ओर से धारा 50 (क) दं.प्र.सं. के अंतर्गत गिरफतार किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों की सूचना उसके मित्र/रिश्तेदार को दे दी गयी है। अतः न्यायालय को इस बात का समाधान हो गया है कि पुलिस के द्वारा धारा 50 (क), (2), (3) दं.प्र.सं. की अपेक्षाओं का गिरफतार व्यक्ति/व्यक्तियों के बारे में अवलोकन से प्रकरण में विवेचना किया जा चुका है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकरण में विवेचना प्रगति पर होने से अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुति में समय लगने की संभावना है। अतः दर्शाया गया कारण योग्य होने से आरोपी का न्यायिक अभिरक्षा का आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2020 तक का स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता श्री आजाद जैन द्वारा प्रेषित आरोपी ऐजाज की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. का मय अधिवक्ता मेमो एवं बरोड़ा हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड सेंटर का ईको कलर डॉपलर रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 के ईमेल के माध्यम से प्राप्त।	

Scanned with CamScanner

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

उक्त आवेदन पत्र पर अधिवक्ता श्री आजाद जैन को व्हाट्एप वीडियो काल के माध्यम सुना गया।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. संक्षेप में यह है कि प्रकरण में पुलिस ने गलत आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आरोपी निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी का अपराध भी ऐसा नहीं है जो आजीवन कारावास या मौत हो। आरोपी ट्रायल फेस करना चाहता है और आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है। आरोपी को यदि जमानत पर छोड़ा गया तो वह शर्तों का पालन करेगा और पेशियों पर हाजिर होगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

पुलिस थाना माणक चौक द्वारा प्रस्तुत थाने के अपराध क्रमांक 177/2020 अंतर्गत धारा 14 एवं 15 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की केस डायरी एवं थाना माणक चौक रतलाम द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उक्त के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आरोपी पर धारा 14 एवं 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। यहां यह तथ्य अवलोकनीय है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) का संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है तथा अन्य जिले से प्रवेश भी समुचित आदेश के बगैर निषेधित है। अतः उक्त परिस्थितियों में आरोपी के जिला बदर होने के उपरांत भी रतलाम जिले के राजस्व सीमा में प्रवेश कर गंभीर अपराध कारित करते हुए जनमानस तथा अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाला गया है। अतः उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी के कृत्य एवं आचरण को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता। आरोपी की ओर से जो रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है वह पांच माह पूर्व का है, अतः उक्त के आधार पर आरोपी के बीमारी के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. को स्वीकार किया जाना समीचीन प्रकट न होने से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है।

आरोपी को जेल वारण्ट के माध्यम से उपजेल सैलाना भेजा जावे।

जेल वारंट पर लाल स्याही से यह टीप लगाई जाए कि जेल में प्रवेश करने से पूर्व आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया जाये तथा परीक्षण रिपोर्ट तुरंत प्राप्त न होने की दशा में उपजेल अधीक्षक आरोपी को पृथक रूम में क्वारंटाईन रखेंगें तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

प्रकरण अंतिम प्रतिवेदन हेतु दिनांक 02.06.2020 को पेश हो।

अंजय सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रतलाम म.प्र.

Scanned with CamScanner